

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार,  
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकर,  
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक -

विषय:-

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक-17.05.2016 के प्रभाव से बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के स्थान पर Central sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labour 2016 का प्रारंभ किये जाने के फलस्वरूप योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष-2017-18 में योजना के प्रावधानों के तहत विपत्र-26-2230011120405 के अन्तर्गत विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान से वित्तीय वर्ष-2017-18 में विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को भुगतान की गयी तत्काल सहायता राशि की प्रतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी 16,80,000/- रू० (सोलह लाख अस्सी हजार) मात्र बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की स्वीकृति।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11012/01/2015-बी०आई० दिनांक-08 मई 2016 द्वारा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना 2016 दिनांक-17.05.2016 के प्रभाव से लागू की गयी है। संशोधित योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नवत हैं:-

1. बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना 2016 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-एफ० नं०-S-11012/01/2015-BL, दिनांक-18 मई, 2016 द्वारा अधिसूचित की गयी है।
2. संबंधित राज्य के द्वारा कम से कम रू० 10 लाख के एक स्थायी कोष से राज्य स्तर पर एक बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष तैयार किया जाएगा जो जिला मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में होकर नवीकरणीय होगा। यह कोष मुक्त कराये गए बंधुआ मजदूरों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होगा। बंधुआ मजदूरों के अपराधियों से वसूली गई समूची अर्थदण्ड की रकम इस विशेष कोष में जमा की जा सकती है।
3. संशोधित योजना एक केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना होगी और यह 17 मई, 2016 में प्रभावी होगी। राज्य सरकारों को नगद पुनर्वास सहायता के प्रयोजन से किसी मिलान अंशदान का भुगतान नहीं करना होगा।
4. पुनर्वास पैकेज प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी रू० 1,00,000/- होगी। लाभार्थी को इसे नगद अनुदान के रूप में प्राप्त करने या फिर एक वार्षिक में योजना में जमा कराने के विकल्प रहेंगे। जिला प्रशासन लाभार्थी की नगद जरूरतों का आंकलन करेंगे और उनके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार विकल्प का चयन करेंगे और कथित वयस्क पुरुष की सहमति से धन को वार्षिक जमा योजना में जमा करेंगे।
5. ऐसे अनाथ बच्चों या संगठित समूहों तथा बलात भीख मंगवाने वालों से मुक्त कराये गये बच्चे या बलात बाल श्रमिक या स्त्रियों के अन्य रूपों वाले विशेष वर्ग के लाभार्थियों के लिए पुनर्वास सहायता की धनराशि रू० 2 लाख होगी जिसमें से कम से कम रू० 1.25 लाख की धनराशि किसी वार्षिक योजना में लाभार्थी के नाम से जमा की जाएगी तथा शेष धनराशि ईसीएस के जरिये लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।
6. बंधुआ या बलात मजदूरों के मामले में जिनमें अभाव या उपेक्षा से जुड़े ट्रांस-जेंडर्स या स्त्रियाँ या बच्चे शामिल हैं, जिन्हें यौन शोषण में लिप्त वेश्यालयों, मसाज पार्लर्स, प्लेसमेंट एजेंसियों से मुक्त करवाया गया है, या ऐसी स्थितियों में जहाँ मजिस्ट्रेट ठीक समझें, पुनर्वास सहायता रू० 3 लाख होगी जिसमें से कम से कम रू० 2 लाख की धनराशि किसी वार्षिक योजना में लाभार्थी के नाम से जमा की जाएगी तथा रू० 1 लाख की धनराशि ईसीएस० के जरिये लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी।

वित्तीय वर्ष-2016-17 में तृतीय अनुपूरक के माध्यम से विमुक्त बंधुआ मजदूरों को लाभान्वित करने हेतु पुनरीक्षित नयी संशोधित स्कीम के तहत सभी जिलों में वित्त विभाग की अनुमति प्राप्त कर Corpus Fund के गठन हेतु उपशीर्ष 0102-बंधुआ मजदूर कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120101) के अन्तर्गत विषयशीर्ष-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ (28 01) में रू० 380.00 लाख (तीन करोड़ अस्सी लाख) मात्र अतिरिक्त राशि प्राप्त हुई थी। उक्त राशि सभी जिलों को 10.00 लाख की दर से आवंटित किया गया था। नयी योजना के प्रावधानों के अनुसार जिलों द्वारा विमुक्त बंधुआ श्रमिकों को तत्काल आर्थिक सहायता राशि के रूप में भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा किया जाना है। विभिन्न जिलों द्वारा तत्काल आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान की गयी राशि की प्रतिपूर्ति हेतु विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान में वित्त विभाग के ज्ञापांक-ब०14/BCF-80/2017 दिनांक-10.01.18 द्वारा



बिहार राज्य के आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत की गयी है। उक्त स्वीकृत राशि मुख्यशीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार और कौशल विकास, उप मुख्यशीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112 बंधुआ मजदूर का पुनर्वास, समूह शीर्ष-केन्द्रांश क्षेत्र स्कीम के अन्तर्गत उपशीर्ष-0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड-8000-26-2230011120405) के अन्तर्गत विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान से चालू वित्तीय वर्ष-2017-18 में विकलनीय होगी।

7. प्रस्ताव में विभागीय माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन पृ०-12.9/18 पर प्राप्त है।
8. प्रस्ताव/प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृ०-12.9/18 पर प्राप्त है।
9. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, श्रमायुक्त, बिहार होंगे।
10. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-11012/01/2015-बी0आई0 दिनांक-08 मई 2016 द्वारा दिनांक-17.05.2016 के प्रभाव से बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए प्रारंभ की गयी केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना 2016 की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
11. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पुनरीक्षित नयी संशोधित स्कीम के तहत सभी जिलों में Corpus Fund के गठन हेतु उपशीर्ष 0405-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (विपत्र कोड-8000-26-2230011120405) के अन्तर्गत विषयशीर्ष 0405.37.01 अनुग्रह अनुदान में वित्त विभाग के ज्ञापांक-ब.14/बी0सी0एफ0-80/2017 दिनांक-10.01.2018 के द्वारा बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त 16.80 लाख रू० के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली से संबंधित मामलों के पुनर्वास की राशि अविलम्ब विमुक्त की जायेगी।
13. चिन्हित लाभुकों को राशि के भुगतान के उपरान्त DBT प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
14. कॉरपस फंड से राशि की निकासी के पश्चात् विभाग को सूची सहित प्रतिवेदित किया जाना अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)

अपर सचिव।

ज्ञापांक:-01/बी0एल0-1207/2007 श्र०सं०.

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:- अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, जैसलमेर हाउस मानसिंह रोड, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)

अपर सचिव।

ज्ञापांक:-01/बी0एल0-1207/2007 श्र०सं०.

पटना,दिनांक-

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त श्रमायुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी उप श्रमायुक्त/सभी सहायक श्रमायुक्त/सभी श्रम अधीक्षक/श्रमायुक्त के सचिव/सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-06 (श्रम पक्ष) एवं प्रशाखा-02 (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(के० सेंथिल कुमार)

अपर सचिव।